10. हमने उभयपक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलग्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से ग्यारसा की फौतगी का नामा. सं. 716 दिनांक 25/12/2010 वाके ग्राम बायावास पटवार हल्का बीलवाडी तहसीलदार विराटनगर द्वारा खोला गया तथा अपीलान्ट संख्या 2 अमरी देवी पुत्री ग्यारसीलाल का नाम अंकन किया जाना वकील अपीलान्ट ने प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है, जबकि ग्यारसीलाल के सभी वारिसान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होना चाहिए था। चूँकि ग्यारसीलाल पुत्र नानगराम गुर्जर की मृत्यु 18/9/2010 को प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से हुयी है। मृत्क ग्यारसीलाल के सभी वारिसान् के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होना चाहिए था जो उक्त नामा. सं. 716 वाके ग्राम बयावास में अपीलान्ट संख्या एक का नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हुआ है तथा उक्त नामा. में गीता पुत्री ग्यारसा का नाम का अंकन हुआ है, जबकि वकील अपीलान्ट ने जाहिर हिया कि नामान्तरकरण में गीता देवी की बजाय अमरी देवी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होना चाहिए था। इस प्रकार मृत्क ग्यारसीलाल के सभी वारिसान् की पूर्ण जांच पडताल नहीं कर उक्त नामा. भरा गया है, जो अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर नामा. सं. 716 वाके ग्राम बयावास तहसील विराटनगर दिनांक 25/12/2010 को अपासत किया जाता है तथा तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि मृत्क ग्यारसीलाल पुत्र नानगराम के सभी वारिसान् को सुनवायी का अवसर प्रदान कर ग्यारसीलाल का विरासत का नामान्तरकरण खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उनके सभी वारिसान् का नाम दर्ज किया जावें।

12. यह निर्णय आज दिनांक 26-2-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)